UPLK010069072026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट, लखनऊ।</u>

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या– 802/2026

सहदेव आयु लगभग 67 वर्ष पुत्र हेमराज, निवासी–नन्दपुर, मजरे सरांय शेख, थाना–चिनहट, जिला–लखनऊ

.....वादी।

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र मैकूलाल
2. किशोर पुत्र छबीले
3. मुन्नालाल पुत्र मैकूलाल
4. रामू प्रसाद पुत्र रमेश
5. राजित राम पुत्र रमेश
6. मदनलाल पुत्र रमेश
7. श्यामू पुत्र रमेश
8. राम कली पत्नी रमेश
9. राम कुँवर पुत्र नन्हे
10. पवन कुमार पुत्र रामेश्वर
11. पत्नी मुकेश
12. अवधेश पुत्र संतराम
13. अखिलेश पुत्र संतराम

    निवासीगण ग्राम–नन्दपुर, मजरे–सरांय शेख, थाना–चिनहट, जिला–लखनऊ
14. अजीत कुमार पुत्र रामगोपाल, निवासी–सरांय मिहीं, थाना–सतरिख, जिला–बाराबंकी
15. देवेंद्र पुत्र देवीदीन, निवासी–26, बड़ा भरवारा, विराज खंड, गोमती नगर, लखनऊ
16. राजेश कुमार पुत्र कालीचरण, निवासी–सिकन्दरपुर खुर्द, इंदिरा नगर लखनऊ
17. अन्य राजस्व कर्मचारीगण व अन्य सहयोगीगण

.....प्रतिवादीगण/विपक्षीगण।

<u>दिनांक–09.07.2026</u>

1. पत्रावली पेश हुई।
2. आवेदक को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।
3. आवेदक सहदेव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 174(3) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र में आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी सहदेव व उसके भाई बाल गोविंद, विश्वम्भर, शत्रोहन लाल व हरिनाम पुत्रगण स्व० हेमराज जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, की भूमि गाटा सं० 427, रकबा 0.201 हेक्टेयर स्थित ग्राम–सरांय शेख, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की पैतृक भूमि है और बिना किसी वाद–विवाद के जमींदारी खात्मा से पूर्व स्वामित्व व कब्जे में चले आ

रहे हैं। राजस्व कर्मचारीगण षड्यंत्र व जालसाज करते हुए प्रार्थीगण की पैतृक भूमि गाटा सं० 427, रकबा 0.118 हेक्टेयर का अंश विपक्षी संख्या 1 ता 13 का नाम कूटरचित तरीके से दर्ज कर दिया। प्रार्थी की पैतृक भूमि गाटा सं० 427 का आकार पत्र–45 जो की प्रार्थी व उसके भाइयों के पिता विजयी पुत्र दुर्गा प्रसाद के नाम तनहा है। प्रार्थी भूमि गाटा सं० 427, रकबा 0.201 हेक्टेयर फसली सन 1428–1433 में अपने भाइयों के साथ संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, काबिज दाखिल है और मौके पर आम, महुआ, नीम, शीशम, कटहल, कलस्टर, बेल आदि के पेड़ लगे हैं। प्रार्थी की भूमि गाटा सं० 427 का कूटरचित तरीके से एक अन्य खाता सं० 173 अलग से बनाकर प्रार्थी की गाटा सं० 427 का रकबा 0.118 हेक्टेयर फसली सन् 1428–1433 में विपक्षी संख्या–17 राजस्व निरीक्षक, राजस्व अधिकारी व कर्मचारीगण फसली सन् 1360 में अनिल कुमार पुत्र मैकूलाल, किशोर पुत्र छबीले, मुन्नालाल पुत्र मैकूलाल, मैकूलाल पुत्र छबीले, रमेश पुत्र रेवती, रामकुमार पुत्र नन्हे, रामेश्वर पुत्र नन्हे, श्रीमती रामकली पत्नी मैकूलाल, संतराम पुत्र जयराम का नाम सरकारी अभिलेखों में कूटरचना करते हुए दर्ज कर दिया, जो कि विपक्षी सं०–01 से 13 न तो पिता व परिवार में सदस्य हैं, जबकि उक्त खतौनी में खातेदारी प्रारंभ होने के वर्ष 1360 फसली यानी की आकार पत्र–41 व 45 में कभी भी इन खातेदारों का नाम दर्ज नहीं रहा है और न ही इनके पिता व वंशज आदि का नाम कभी भी दर्ज रहा है। प्रार्थी के ग्राम–सरांय शेख, परगना व तहसील सदर, जिला–लखनऊ की भूमि गाटा सं० 427, रकबा 15 बिस्वा, 18 विस्वांशी जिल्द बंदोबस्त में आकर पत्र–41 व 45 की खाता सं० 128 पर प्रार्थीगण के पिता विजयी पुत्र दुर्गा निवासी ग्राम–नन्दपुर, मजरा–सरांय शेख के नाम श्रेणी–1 क (ख) भूमि जो भूमिधरो के अधिकारों में हो श्रेणी में दर्ज है। इसके अतिरिक्त आकार पत्र–41 व 45 में अन्य किसी भी के नाम उक्त खाते की गाटा सं० 427 दर्ज नहीं है। कूटरचित तरीके से दर्ज नामित खातेदारों की मृत्यु होने के पश्चात भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना भौतिक सत्यापन किये पुनः कूटरचित तरीके से उन्हीं के वारिसनों का नाम दिनांक 08/01/2021 एवं 23/03/2023 को दर्ज किया जबकि स्थल पर कब्जे की कोई जांच न करके भूमि को अविवादित जांच रिपोर्ट लगा दी गई। कूटरचित इंद्राज के आधार पर विपक्षी सं० 2, 5 से 8, विपक्षी सं० 14 के नाम दिनांक 06/02/2026 को प्रार्थी की भूमि गाटा सं० 427 का बैनामा विपक्षी सं० 15 व 16 की उपस्थिति में कर दिया, जबकि विपक्षी सं० 2, 5 से 8 कभी भी भूमि पर कब्जे में नहीं रहे हैं उनके नाम इंद्राज कूटरचित व फर्जी हैं। विपक्षी सं० 2, 5 से 8 व 14 से 16 पुलिस से सांठ–गांठ कर मौके पर जबरदस्ती गुंडई व सरहंगी के बल पर दिनांक 08/02/2026 को जबरदस्ती बैनामे के आधार मौके पर कब्जा करने आये तब प्रार्थी को विपक्षीगण द्वारा की कूटरचना की जानकारी हुई तो मौके पर प्रार्थी व उसके घर वालों द्वारा विरोध किया गया, तब विपक्षीगण एलानिया धमकी देते हुए पुनः आकर कब्जा करने को कहकर चले गये, तब प्रार्थी थाने पर गया, परंतु थाने वालों ने प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दिनांक 10/02/2026 को पुनः जबरदस्ती प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से विपक्षीगण अपने साथ 40–50, महिला व पुरुष अधिवक्ताओं के साथ मौके पर आए और जातिसूचक गाली देते हुए प्रार्थी व प्रार्थी की घर की महिलाओं के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार कर कब्जा करने का प्रयास किया, प्रार्थी द्वारा मौके पर बुलायी गई 112 की पुलिस व अन्य गांव वालों के हस्तक्षेप से विपक्षीगण कोर्ट कचहरी में देख लेंगे, की धमकी देते हुए चले गए। मौके पर आए असामाजिक तत्व

व अधिवक्ता के भेष में आए माफियाओं की फोटो व वीडियो भी प्रार्थी के पास मौजूद हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कूटरचित इंद्राज के आधार पर हुए बैनामे के आधार पर लगातार कब्जा किये जाने का बनाए जा रहे दबाव के कारण प्रार्थी उच्च पुलिस अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को दिनांक 31/03/2026 को मुकदमा पंजीकृत किए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया, परंतु प्रार्थी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। प्रार्थी उच्च पुलिस अधिकारियों एवं अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना–पत्र दिये जाने के पश्चात भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब प्रार्थी मजबूर होकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 3666/2026 (CRLP) (सहदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य) दाखिल किया । माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय कि विधि–व्यवस्था के अनुपालन में श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) BNSS प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु निर्देशित किया। विपक्षीगण द्वारा कारित किया गया अपराध जघन्य प्रकृति का है और सरकारी अभिलेखों व दस्तावेजों में कूटरचना की गई है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराया जाना आवश्यक है जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था का सम्मान करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट थाना चिनहट में दर्ज कराकर विवेचना किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें महान कृपा होगी। प्रार्थनापत्र शपथपत्र द्वारा समर्थित है।

4. प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जो०च० आकार पत्र–45 व 41 की छायाप्रति, इंतखाब खसरा की छायाप्रति, उद्धरण खतौनी की छायाप्रतियां, विक्रय विलेख दिनांकित–06.02.2026, 22.11.2021 एवं 06.02.2026 की छायाप्रतियां, घटना के संबंध में फोटोग्राफ्स की छायाप्रतियां, प्रभारी निरीक्षक थाना–चिनहट, लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांकित–30.03.2026 की छायाप्रति मय मूल डाक रसीद, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा क्रिमिनल मिस० रिट पिटीशन नं०–3666/2026 में पारित आदेश दिनांकित–22.04.2026 की सत्यापित प्रति, जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।
5. थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।
6. प्रार्थना प 2871 त्र में किये गये कथनानुसार विपक्षीगण द्वारा आवेदक की भूमि पर कूटरचित बैनामा के आधार पर जबरन कब्जा करने तथा आवेदक द्वारा विरोध करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देना कहा गया है।
7. प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से प्रश्नगत भूमि गाटा सं०–427, रकबा 0.201 हे० स्थित ग्राम सराय शेख, परगना तहसील व जिला लखनऊ की संपत्ति प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति हो हो, ऐसा कोई प्रपत्र अभिलेख पर नहीं है। **प्रार्थी ने स्वयं को पुत्र हेमराज दर्शाया है, जबकि अपने प्रार्थनापत्र के प्रस्तर 1 में स्वयं को व अपने भाईयों के पिता विजयी पुत्र दुर्गा प्रसाद बताया है व उन्हीं के नाम का जो०च० आकार पत्र 45 प्रस्तुत किया है। इसलिये पैतृक संपत्ति होने के आधार पर प्रार्थी ने प्रश्नगत संपत्ति पर जो अपना स्वत्व एवं अधिपत्य बताया गया है, वह परिलक्षित नहीं है।** इसके अतिरिक्त यदि विवादित भूमि में गलत राजस्व प्रविष्टि किसी भी स्तर पर हुयी है, तो प्रार्थी के पास यह समाधान है कि वह राजस्व न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी

की ओर से उद्धरण खतौनी प्रस्तुत की गई है जिसमें उसके एवं उसके भाईयों का नाम प्रश्नगत खसरा सं०–427 में दर्शित है, लेकिन जैसा कि ऊपर किये गये विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि **प्रार्थी के पिता हेमराज के नाम पूर्व में उपरोक्त संपत्ति कभी भी किसी भी स्तर पर रही हो, इसका कोई अभिलेख चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये यह प्रकट हो रहा है कि प्रार्थी द्वारा मूल तात्विक तथ्यों को न्यायालय से छिपाया गया है। वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है।** पक्षकारों के मध्य जो भी विवाद बताये गये हैं, वह पूर्णतयः दीवानी प्रकृति के हैं एवं राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि से संबंधित हैं।

8. निर्णय विधि–**राजेन्द्र सिंह कटोच प्रति चंण्डीगढ प्रशासन एवं अन्य 2008 (60) एसीसी 347 सुप्रीम कोर्ट** में दी गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि प्राथमिकी दर्ज करने के स्तर पर इस तथ्य का समाधान किया जा सकता है कि जो प्राथमिकी दर्ज कराया जाना बांछित है, में कोई सार है या नहीं।
9. निर्णय विधि–**चन्द्र पाल प्रति स्टेट आफ यू०पी० 2009(2) एसीआर 1495** में दी गयी व्यवस्था के अनुसार धारा– 173 (4)बी०एन०एस०एस० के तहत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट, पोस्टमैन की तरह कार्य नहीं करेगा बल्कि उसे यह परीक्षित करना होगा कि प्रार्थना पत्र के पढ़ने से प्रथम दृष्टया अपराध का कारित होना प्रकट होता है अथवा नहीं। यदि वह पाता है कि कोई भी अपराध प्रकट नहीं होता है। तो वह प्रार्थना पत्र को खारिज कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आदेश पारित करते समय न्यायालय द्वारा इस तथ्य का समाधान किया जायेगा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यां के आधार पर कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है अथवा नहीं ।
10. निर्णय विधि–**इन्द्रमोहन गोस्वामी प्रति स्टेट आफ उत्तरांचल एवं अन्य 2008 (1)ए०एल०जे० 40 (सुप्रीम कोर्ट)** में दी गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि दीवानी के मामले में वादकारी को तलब करने के लिये फौजदारी मामला यंत्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार निर्णय विधि–**मोहम्मद इब्राहीम एवं अन्य प्रति स्टेट आफ बिहार 2010 (1) जे०आई०सी० 133 (सुप्रीम कोर्ट)** में दी गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि दीवानी प्रकृति के बाद में फौजदारी मामला नहीं चल सकता।
11. निर्णय विधि **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2026) एस०सी०सी० 622** में यह व्यवस्था दी गयी है कि "while directing the registration of FIR, Magistrate held required to apply his mind for the purpose of ascertaining whether the allegations levelled in the complaint constitute any cognizable offence or not."
12. यद्यपि प्राथमिकी दर्ज करने के लिये आदेश पारित करते समय कोई प्रारम्भिक जॉच अपेक्षित नहीं है। परन्तु इस प्रकरण में आवेदक की भूमि पर विपक्षीगण द्वारा कब्जा का प्रयास करने का आक्षेप लगाया गया है तथा आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में 16 व्यक्तियों को नामित किया गया है, जबकि प्रार्थनापत्र के पैरा 8 में आवेदक द्वारा कथन किया गया है कि उसके द्वारा अपनी भूमि पर विपक्षीगण द्वारा कब्जा करने का विरोध करने पर 40–50 महिला व पुरुष अधिवक्ताओं द्वारा उसके व उसके घर की महिलाओं के साथ मार–पीट व अभद्र व्यवहार करने का कथन किया गया है, परंतु इतनी अधिक संख्या के व्यक्तियों द्वारा मार–पीट किये जाने के उपरांत भी आवेदक द्वारा कोई आघात आख्या अपने प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि

आवेदक द्वारा दीवानी मामले को आपराधिक रंगत देने के उद्देश्य से यह प्रार्थनापत्र दिया गया है।

13. पक्षों के मध्य दीवानी प्रकृति का विवाद परिलक्षित होता है, कोई संज्ञेय अपराध का गठित होना नहीं पाया जाता है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

14. आवेदक सहदेव का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० खारिज किया जाता है।

दिनांक 09.07.2026

(नीतू पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०–एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ
जे०ओ० कोड–यू०पी० 06198

Digitally signed by Neetu pathak
Date: 2026.07.15 18:33:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court